फर्द अहकाम

मिश्री देवी बनाम जगदीश वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रा0पत्र संख्या...167..../2025 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

GCMS NO: 2025/ 496

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/1/26	पक्षकारान फरीकेन उपस्थित तौहातीन अधिकारी तौर/अधिवक्ता मुकदमा कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 23/1/26 को पेश हो।
	23.1.26	पक्षकारान फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 12.2.26 को पेश हो।
	12/2/26	[illegible] उपस्थित तौहातीन [illegible] मुकदमा कार्यों में [illegible] पत्रावली दिनांक 24.3.26 को पेश हो।
	24/3/26	पक्षकारान पेश। अर्जी Art 39 R 1 & 2 अर्जीदा. 14 व 15 की तामील हो चुकी है। अर्जीदा. 01 से 13 की रजि० डाक से तामील हेतु एकमाह से ज्यादा समय बाद भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी ex parte की जाती है। अर्जी Adv ने T.I. के बाबत पक्षों को समझाते हुए मूलवाद का फैसला होने तक T.I. बनाकर दरके हुक्म किया। बहस पर सुनवाई किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। T.I. दिनांक 20/1/26 को मूलवाद का फैसला होने तक बनाकर दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के क्रम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)